न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–135/2013–14 अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

1. नरेश 2. भागमल पुत्रगण स्व0 फूल्ला निवासीगण अहमदपुर ग्रान्ट, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार

–बनाम–

1.उत्तराखण्ड सरकार 2. अमर सिंह 3. पल्टूराम पुत्रगण स्व0 मोल्हड़ सिंह निवासीगण ग्राम अमदपुर ग्रान्ट, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

उपस्थिति : श्री एस0 रामास्वामी, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्तागण उत्तरदाता : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शास0अधि0(रा0)

बावत

मौजा अमदपुर ग्रन्ट, परगना ज्वालापुर,
तहसील व जिला हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–09/2001 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम मोल्हड़ सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 07–08–2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की आख्या दिनांक 21–07–2001 के आधार पर वाद अपर कलेक्टर, हरिद्वार के न्यायालय में इस आधार पर प्रारम्भ हुआ जिसमें कथन किया गया कि तहसीलदार, हरिद्वार ने अपनी आख्या दिनांक 22–05–2001 के द्वारा अवगत कराया है कि पट्टेदार फुल्ला पुत्र सांवला निवासी अहमदपुर ग्रन्ट ने दिनांक 12–12–95 को पट्टे की भूमि खसरा नम्बर–1281/5 मि0 रकबई 1–8–3 बीघा का बैनामा मोल्हड़ सिंह पुत्र भोलू निवासी अहमदपुर ग्रन्ट को किया था। दिनांक 12–12–95 में पट्टेदार द्वारा संक्रमणीय भूमिधर नहीं था और प्रश्नगत भूमि का बैनामा करने से पूर्व अनुमति भी प्राप्त नहीं की तथा धारा–157कक का उल्लघंन किया गया है इसलिए राज्य सरकार में विवादित भूमि निहित की जानी चाहिए थी। विपक्षीगण को वाद में नोटिस जारी हुआ। दौरान वाद मोल्हड़ की मृत्यु हो चुकी थी जिसके वारिस अमर सिंह, पल्टूराम ने आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कई बार अवसर चाहा परन्तु आपत्ति दाखिल नहीं की गई मात्र फुल्ला पुत्र सांवला के द्वारा आपत्ति इस कथन के साथ कि गई कि प्रश्नगत भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी तथा धारा 131ख जं0वि0अधि0 के अनुसार संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो चुके थे। नियमानुसार

विवादित भूमि का अन्तरण किया है किसी प्रकार जमींदारी विनाश अधिनियमों का उल्लघंन नहीं किया है। वाद में राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) को सुनने के उपरान्त विद्वान अपर कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 07–08–2002 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.298 है0 व खसरा नम्बर 619 रकबा 0.393है0 से विपक्षीगण का नाम निरस्त कर सम्पत्ति राज्य सरकार में दर्ज किए जाने के आदेश दिनांक 27–08–2002 पारित किए गए जिसके विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की लिखित बहस एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि निगरानीकर्ता के पिता 3 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वान्सी यानि 0.691है0 भूमि के मालिक संकमणीय भूमिधर थे तथा निगरानी के पिता फुल्ला पुत्र सांवला ने केवल 1 बीघा 17 बिस्वा 18 बिस्वान्सी भूमि मोल्हड़ पुत्र बोड्डु को विकय पत्र दिनांक 12–12–95 के द्वारा विकय की थी तथा विकय पत्र के बाद 1 बीघा 9 बिस्वा 12 बिस्वान्सी पुख्ता भूमि निगरानीकर्ता के पिता की भूमि शेष बचती थी। मोल्हड़ पुत्र बोड्डु ने विकय पत्र दिनांक 12–12–95 के आधार पर दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम तहसीलदार, हरिद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार, हरिद्वार द्वारा उक्त दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र वाद संख्या–23 वर्ष 2001 आदेश दिनांक 08–02–2001 के द्वारा फुल्ला पुत्र सांवला का नाम कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वान्सी पुख्ता यानि 0.691 है0 से निरस्त करके मोल्हड़ सिंह के वारिस अमर सिंह व पलटूराम पुत्रगण स्व. मोल्हड़ सिंह का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि विकय पत्र दिनांक 12–12–95 केवल 1 बीघा 17 बिस्वा 18 बिस्वान्सी का था जबकि फुल्ला पुत्र सांवला का नाम 3 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वान्सी पुख्ता से निरस्त करके विधि विरूद्व दर्ज किया गया था। दाखिल खारिज होने के उपरान्त तहसीलदार ने फुल्ला पुत्र सांवला द्वारा बिना पूर्व अनुमति के विकीत करने के कारण धारा–157कक का उल्लघंन मानते हुए आख्या प्रेषित की। अपर कलेक्टर द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भूमि विकय होने के कारण धारा–157कक का उल्लघंन मानते हुए विकय पत्र को धारा–166 के अनुसार शून्य मानते हुए धारा–167 के अनुसार फुल्ला पुत्र सांवला की कुल भूमि को राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश पारित किए। मोल्हड़ सिंह पुत्र भोलू जाति से अनुसूचित जाति(चमार) है इस प्रकार केता व विकेता दोनों जाति से अनुसूचित जाति हैं। अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धारा–131 के अनुसार संकमणीयं भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करता है तथा वह भूमि विकय करता है तो उसे धारा–157कक के अन्तर्गत अनुमति की आवश्यकता नही है। अपने कथनों के समथने में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने आर0एल0टी 2015 पृष्ठ 329 रामे बनाम स्टेट आफ यू0पी0 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की।

राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि फुल्ला पुत्र सांवला ने बैनामे से पूर्व विवादित भूमि को विकय करने के लिए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी से धारा 157कक जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की क्योंकि विवादित भूमि फुल्ला के पास पट्टे के द्वारा प्राप्त हुई थी यह तथ्य फुल्ला अपनी आपत्ति में स्वंय स्वीकार करता है। धारा–157कक का उल्लघंन होने पर बैनामा दिनांक 12–12–95 धारा–166 जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुसार शून्य है तथा धारा–167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुसार विवादित भूमि बिना भार के दिनांक 12–12–95 से राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के विकेता एवं केता दोनों ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और यह तथ्य सभी पक्षों को मान्य है। विद्वान कलेक्टर,

हरिद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 07–08–2002 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय से पूर्व अनुमति प्राप्त न किए जाने के कारण जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–157कक का उल्लघंन मानते हुए प्रश्नगत भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–157क एवं 157कक में यह वर्णित है कि :–

"157–क. अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध– (1) धारा 153 से 157 में उल्लिखित प्रतिबन्धों की प्रतिकूलता के बिना, कोई भूमिधर या असामी, जो अनुसूचित जाति का है, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति को किसी भूमि के विक्रय, दान, बन्धक अथवा पट्टा द्वारा अन्तरण का अधिकार नहीं रखेगा।"

धारा–157–कक. धारा 131–ख के अधीन भूमिधर होने पर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर निर्बन्धन–(1) धारा 157–क में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 में दिए गए प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, किसी अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को, जो धारा–131–ख के अधीन भूमिधर हुआ है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, और ऐसा अन्तरण, यदि कोई हो, निम्नलिखित अधिमान के क्रम में होगाः

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूर,

(ख) सीमान्त कृषक,

(ग) लघु कृषक

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमींदारी विनाश अधिनियम की उपरोक्त धारा–157कक में "अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति" का उल्लेख है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि हस्तान्तरण करता है तो उसे अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था आर0एल0टी0 2015 पृष्ठ–329 रामे बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि– " जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, धारा–166/167, 157–कक–विक्रय–पत्र को निरस्त करना–कलेक्टर की आज्ञा की पूर्व में आवश्यकता–याची ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी–याची ने एक विक्रय–पत्र निर्गत किया–दोनों पक्ष विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति के थे–प्रश्न यह कि क्या ऐसे हस्तान्तरण में धारा–157–कक के अधीन कलेक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है ?–धारित किया गया कि चूँकि विक्रय–पत्र में दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हैं, अतः विक्रय–पत्र निर्गत करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है–उल्लेखित आदेश अवैध है अतः निरस्त किया जाता है–अपील स्वीकृत की जाती है।

अतः इस प्रकरण में भी उपरोक्त विधिक व्यवस्था सटीक बैठती हैं और यह स्पष्ट है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अतः उन्हें विक्रय पत्र निर्गत करने से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णयादेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अपर कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 07–08–2002 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हों।

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 03-11-16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।